14-6-17 राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017

आवेदनांक / /2017 को ग्राम पंचायत ...मालोता...

के अटल सेवा केन्द्र पर पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। कहा कि इस प्रार्थना पत्र [illegible] वादी के वाद का सार यह है कि [illegible] आ० खसरा नं० 414/0.70 है वाके ग्राम मालोता तहसील कुम्हेर में स्थित होकर वादी को [illegible] हिस्सेदारान की शामलाती आराजी है तथा काश्त [illegible] [illegible] की [illegible] है। [illegible] में आई है [illegible] पर [illegible] की [illegible] विवादित आराजी में प्रतिवादीगण का कोई [illegible]

सरोकार नहीं है। डोल तोड़ कर दीवार बनाना चाहते
है अतः वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया
जाकर विवादित आराजी की बाबत प्रतिवादीगण को
हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द किया जावे कि वो किसी
वादी की काश्त में दखलंदाजी ना करें, ना डोल तोड़े
ना काश्त में कार्य डाले ना अनाधिकृत प्रवेश करे।
प्रकरण [illegible] किया जाकर प्रतिवादीगण
को जरिये समन तलब किया जाकर पर जरिये अधिवक्ता
हाजिर अदालत आये परन्तु दी गई अवधि व्यतीत होने
उपरान्त भी कोई जवाब दावा पेश नहीं किया
है ऐसी स्थिति में वादी के वाद की पुष्टि होती
है। मैंने आगे जांच की। वकील वादी
को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात/पत्रावली
का अवलोकन किया जाकर पर न्यायालय
वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

वाद वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण
डिक्री किया जाकर आराजी ख0नं0 414 वाके ग्राम
[illegible] तहसील [illegible] जिला अलवर (राज0) के
बाबत प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए
[illegible] के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे
वादी की कब्जे काश्त आराजी में अनाधिकृत
प्रवेश न करें, ना डोल तोड़े ना ही कब्जा काश्त
में किसी भी प्रकार से मुदाखलत ही पैदा करें। पक्षकार
[illegible] डिक्री जारी हो। पत्रावली
रहे। तदानुसार [illegible]
निर्णय सुनाया [illegible]
तत्कालीन [illegible] मजमून
आगे सुनाया गया।